FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0066 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/03/2026 17:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 09/03/2026
Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:01 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/03/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/03/2026 17:45:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 510 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KOSH KARYALAY BANSWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANOJ VAISHNAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMESH VAISHNAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	15, TIRUPATI VIHAR, TIRUPATI NAGAR, BANSWARA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	3/197, RBH COLONY, GAVARDHAN VILAS SECTOR 14, UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KACHRU KATARA		पिता:VITTHALA KATARA	1. INDRA COLONY,TALWARA,BANSWAR
2	MILAN BHAT		पिता:DEVENDRA BHAT	1. JAULANA,ARUTHANA,BANSWA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै प्रार्थी मनोज वैष्णव निवासी तिरूपती नगर बांसवाडा का होकर यह कथन करता हू कि मेरा स्वास्तिक ईमित्र बडगांव पर स्थित है। सन् 2024 में जितेन्द्र नामक व्यक्ति द्वारा मेरे ई मित्र पर आकर मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करवाया गया था जिसके पश्चात मेरे द्वारा प्रमाण पत्र एवं जितेन्द्र द्वारा लाया गया फार्म उसे पुनः दे दिया गया था परन्तु उसी जितेन्द्र द्वारा वर्ष 2026 में पुनः किसी ई मित्र पर जाकर वर्ष 2024 का फॉर्म को प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन किया परन्तु तहसील ऑफिस के कर्मचारी कचरू कटारा द्वारा फॉर्म को जांच में लेकर फॉर्म में पटवारी के हस्ताक्षर को गलत बताकर मुझ प्रार्थी मनोज वैष्णव को कॉल किया गया एवं कहा गया कि सन् 2024 में आपके द्वारा जो फॉर्म चढाया गया था उसमें पटवारी के हस्ताक्षर आपके द्वारा किये गये एवं मुझ पर गलत आक्षेप लगाकर तुरन्त तहसील कार्यालय आने को कहां। उसके बाद उसी दिन में तहसील कार्यालय कचरू कटारा से मिलकर आया तो कचरू कटारा द्वारा मुझे कहां गया कि मै फॉर्म की पूर्ण जांच करवाउंगा और आपके विरूद्व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाउंगा जिस पर मैने कहां कि ई मित्र पर मैने जितेन्द्र द्वारा लाया गया फॉर्म चढाया परन्तु कचरू कटारा द्वारा मेरी एक बात नही सुनी ओर मुझे धमकाया और लेने-देन करके सेटल करने हेतु कह रहा है। मेरे द्वारा फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर नही किये गए थे। मै कचरू कटारा को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हु। वह मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मेरी कचरू कटारा से ना ही कोई रंजिष है ना ही कोई बकाया लेन देन बाकी है। अतः कानुनी कार्यवाही करावें। दिनांकः- 26.02.2026 सही/- मनोज वैष्णव मो0 कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 26.02.2026 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव पुत्र श्री रमेश जी वैष्णव उम्र 35 साल निवासी 3/197, आरएचबी कॉलोनी, गोवर्धन विलास सेक्टर 14, उदयपुर हाल मकान नं. 15, तिरूपति विहार, तिरूपति नगर बांसवाडा पेषा स्वास्तीक ई मित्र बडगांव जिला बांसवाडा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि " मै प्रार्थी मनोज वैष्णव निवासी तिरूपती नगर बांसवाडा का होकर यह कथन करता हू कि मेरा स्वास्तिक ईमित्र बडगांव पर स्थित है। सन् 2024 में जितेन्द्र नामक व्यक्ति द्वारा मेरे ई मित्र पर आकर मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करवाया गया था जिसके पश्चात मेरे द्वारा प्रमाण पत्र एवं जितेन्द्र द्वारा लाया गया फार्म उसे पुनः दे दिया गया था परन्तु उसी जितेन्द्र द्वारा वर्ष 2026 में पुनः किसी ई मित्र पर जाकर वर्ष 2024 का फॉर्म को प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन किया परन्तु तहसील ऑफिस के कर्मचारी कचरू कटारा द्वारा फॉर्म को जांच में लेकर फॉर्म में पटवारी के हस्ताक्षर को गलत बताकर मुझ प्रार्थी मनोज वैष्णव को कॉल किया गया एवं कहा गया कि सन् 2024 में आपके द्वारा जो फॉर्म चढाया गया था उसमें पटवारी के हस्ताक्षर आपके द्वारा किये गये एवं मुझ पर गलत आक्षेप लगाकर तुरन्त तहसील कार्यालय आने को कहां। उसके बाद उसी दिन में तहसील कार्यालय कचरू कटारा से मिलकर आया तो कचरू कटारा द्वारा मुझे कहां गया कि मै फॉर्म की पूर्ण जांच करवाउंगा और आपके विरूद्व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाउंगा जिस पर मैने कहां कि ई मित्र पर मैने जितेन्द्र द्वारा लाया गया फॉर्म चढाया परन्तु कचरू कटारा द्वारा मेरी एक बात नही सुनी ओर मुझे धमकाया और लेने-देन करके सेटल करने हेतु कह रहा है। मेरे द्वारा फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर नही किये गए थे। मै कचरू कटारा को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हु। वह मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मेरी कचरू कटारा से ना ही कोई रंजिष है ना ही कोई बकाया लेन देन बाकी है। अतः कानुनी कार्यवाही करावें।'परिवादी से मजिद दरियाफ्त पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री बंसीलाल कानि नं 63 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड (ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी बरंग काला) मंगवाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल टेप रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। श्री

बंसीलाल कानि नं 63 का परिचय परिवादी श्री मनोज वैष्णव से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गए। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज वैष्णव से श्री कचरू कटारा के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया की वह तहसील कार्यालय पर ही मिलेंगे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बंसीलाल कानि नं 63 को अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगाकर सुपूर्द कर समय 11.35 एएम पर परिवादी एवं श्री बंसीलाल कानि को परिवादी की निजी कार से तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव व कानि श्री बंसीलाल नं 63 ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आकर श्री बंसीलाल कानि नं 63 ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बन्द हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने बताया कि मै व श्री बंसीलाल कानि मेरी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा के आस-पास पहुंचे जहां श्री बंसीलाल कानि द्वारा मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया। जिस पर मै, बंसीलाल जी को वही छोड कर अपनी निजी कार लेकर तहसील कार्यालय पहुंचा वहां श्री कचरू कटारा उपस्थित मिला वहां मौके पर कई लोग बैठे हुए थे। इसलिए उसने मुझसे कोई बात नही कर बाद में आने को कहां है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। इसके पश्चात मै तहसील कार्यालय से बाहर आया और डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ श्री बंसीलाल कानि को सुपूर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी के कहे कथनों की ताईद श्री बंसीलाल कानि द्वारा करते हुए बताया की मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द किया और मैं वही आस पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा था। बाद रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी मेरे पास उपस्थित आया था जिससे ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि कचरू कटारा मुझसे सम्पर्क करेगा तो मै आपके कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत करवाउंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक 27.02.2026 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होकर बताया कि मेरे मोबाईल नं पर श्री कचरू कटारा के मोबाईल नं से कॉल आया था और मुझे मिलने के लिए तहसील कार्यालय बांसवाडा बुलाया है। जिस पर श्री बंसीलाल कानि नं 63 से पूर्व में ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ मंगवाया जाकर कानि श्री बंसीलाल को सुपूर्द कर समय 12.55 पीएम पर परिवादी एवं श्री बंसीलाल कानि को परिवादी की निजी कार से तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 01.45 पीएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव व कानि श्री बंसीलाल नं 63 ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आकर श्री बंसीलाल कानि नं 63 ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बन्द हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने बताया कि मै व श्री बंसीलाल कानि मेरी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा के आस-पास पहुंचे जहां श्री बंसीलाल कानि द्वारा मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया। जिस पर मै, बंसीलाल जी को वही छोड कर अपनी निजी कार लेकर तहसील कार्यालय पहुंचा वहां श्री कचरू कटारा उपस्थित मिला, जिससे मैने श्री जितेन्द्र के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में पूछताछ की तो श्री कचरू कटारा द्वारा वार्ता करते हुए मामला सुल्टाने के लिए कहकर कचरू द्वारा अपने मोबाईल पर रिश्वत राशि टाईप की गई और मुझे कहा गया की आप कितना देना चाह रहे हो दबाओ कितने करोगे जिस पर मेरे द्वारा उसके मोबाईल में 10,000/- रूपये टाईप किये तो उसके द्वारा अपनी सहमती व्यक्त करने पर मैने पे मेन्ट कैसे देना है तो कचरू द्वारा कैष दे देना होली के बाद। तत्पष्चात परिवादी ने बताया की कचरू काफी शातिर है उसने मुझसे बोलकर मांग नही की गई रिश्वत राशि अपने मोबाईल में टाईप करवा कर होली के बाद राशि देने हेतु कहां है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। इसके पश्चात मै तहसील कार्यालय से बाहर आया और डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ श्री बंसीलाल कानि को सुपूर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी के कहे कथनों की ताईद श्री बंसीलाल कानि द्वारा करते हुए बताया की मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द किया और मैं वही आस पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा था। बाद रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी मेरे पास उपस्थित आया था जिससे ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी एवं कचरू कटारा के मध्य हुई वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशसुने गए तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि बोलकर नही मांग की गई केवल परिवादी के काम को सुल्टा देने (परिवादी के खिलाफ कार्यवाही नही करने) एवं राशि नगद देने हेतु कहकर राशि का परिवादी के बताए अनुसार परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये का कचरू कटारा द्वारा अपने मोबाईल में अंकन करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत मांग वार्ता एवं

परिवादी के कथनानुसार संदिग्ध श्री कचरू कटारा बडा ही शातीर प्रवृत्ती व्यक्ति है, उसके द्वारा रिश्वत मांग वार्ता में रिश्वत राशि मोबाईल पर टाईप करके रिश्वत राशि की सहमती व्यक्त की गई है। परिवादी के अनुसार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि होली के बाद देने हेतु कहा गया है। जिस पर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में रखा गया। परिवादी ने बताया की कचरू कटारा मुझसे सम्पर्क करेगा तो मै रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय उपस्थित आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को संदिग्ध द्वारा सम्पर्क करने पर रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 08.03.2026 समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया और बताया की कचरू कटारा का मेरे मोबाईल पर दिनांक 05.03.2026 को कॉल आया था पर मेरे पारिवारीक कार्यक्रम होने एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने से कार्यालय उपस्थित नही हो सका। कचरू को मैने दो-तीन दिन मे रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर सम्पर्क करने हेतु कहा है कल दिनांक 09.03.2026 को कचरू अपने राजकार्य हेतु तहसील कार्यालय आएगा और कचरू मुझे कॉल कर सकता है जैसे ही कचरू का कॉल आएगा तो मै कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। तत्पष्चात परिवादी को रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की व्यवस्था हेतु पूछा गया तो परिवादी ने बताया की रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है। जैसे ही कचरू मुझसे सम्पर्क करेगा तो मैं रिश्वत राशि लेकर कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। कार्यालय पर जाब्ते की कमी होने से अतिरिक्त जाब्ता हेतु पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर को जरिये दूरभाष दिनांक 09.03.2026 को प्रातः 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु अवगत कराया गया। दिनांक 09.03.2026 समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया और अवगत कराया की आज कचरू कटारा ने मेरे मोबाईल पर कॉल कर मुझे तहसील कार्यालय बुलाया है। मै रिश्वत राशि 10,000/- रूपये कि भी व्यवस्था कर अपने साथ लेकर आया हुं आप अग्रिम कार्यवाही करावें। उसे सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवष्यकता होने से उप रजिस्ट्रार एवं विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-1 एवं एसपीएल-2 दिनांक 09.03.2026 पर विशेष वाहक के साथ कार्यालय उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर श्री बंसीलाल कानि नं 63 को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। समय 09.30 एएम पर पाबन्दशुदा सहकारी समितियां बांसवाडा से दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम अनिल कुमार भगोरा पुत्र श्री मगनलाल जी भगोरा उम्र 57 वर्ष जाति भील निवासी मोहल्ला निचला खांटवाडा जिला बांसवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बांसवाडा एवं निलेश जोशी पुत्र श्री उमाशंकर जोशी उम्र 40 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी हाउसींग बोर्ड माही सरोवर गणेश मिल्क डेयरी बांसवाडा हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय विषेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जिला बांसवाडा होना बताया मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया । पूर्व का पाबन्दशुदा श्री जितेन्द्र कानि नं 390 भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिसे आवश्यक हिदायत कर कार्यालय कक्ष में बैठाया। समय 09.45 एएम पर कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री मनोज वैष्णव का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2026 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपी में होकर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ कार्यालय की अलमारी से श्री बंसीलाल कानि से मंगवाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। समय 10.00 एएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 26.02.2026 को समय करीब 11.45 एएम पर परिवादी एवं श्री कचरू कटारा के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा में हुई वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदाफर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री कचरू कटारा की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 10.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कचरू कटारा, वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु परिवादी श्री मनोज वैष्णव को कहां तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर जिसे फर्द में अंकित किया गया। परिवादी श्री मनोज वैष्णव द्वारा

पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री दिनेश कुमार सउनि से कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की शीशी को मंगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी को श्री जितेन्द्र कानि 390 को सम्भलवाई गई तथा कानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मनोज वैष्णव की जामा तलाशी गवाह श्री अनिल कुमार भगोरा से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री जितेन्द्र कानि 390 से उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री मनोज वैष्णव के पहनी हुई पेन्ट के साईड की बाएं जैब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिनेष कुमार सउनि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कानि 390 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कानि नं 390 से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कानि नं 390 को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री बंसीलाल कानि 63 के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री जितेन्द्र कानि नं 390 व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री जितेन्द्र कानि नं 390 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। श्री दिनेष कुमार सउनि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर को ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 11.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त ब्यूरो जाब्ता को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अनिल कुमार भगोरा सहायक प्रषासनिक अधिकारी व श्री निलेश जोशीसहायक प्रषासनिक अधिकारी एवं परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष दिये जाकर श्री बंसीलाल कानि नं 63 को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुनासिब हिदायत के सम्भलवाया गया। समय 11.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनोज वैष्णव को उसकी निजी कार से, श्री बंसीलाल कानि व श्री दिनेश कुमार सउनि को मोटरसाईकल से, श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को मोटरसाईकल से परिवादी के पीछे-पीछे तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा के लिए रवाना करते उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार भगोरा, श्री निलेश जोशी ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी आवश्यक संसाधनों के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर जिला बांसवाडा के लिए रवाना हुए । समय 11.25 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान का रवानाशुदा तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परिसर बांसवाडा के आस-पास पहुंच जहां परिवादी श्री मनोज वैष्णव को श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द कर समय करीब 11.27 एएम पर तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया तथा अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा करा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में रहे । समय 12.10 पीएम पर दर्ज रहे कि समय करीब 12.01 पीएम पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने कोष कार्यालय बांसवाडा के पीछे आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् पूर्व निर्धारित ईषारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि आपके निर्देषानुसार मै ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर तहसील कार्यालय बांसवाडा में कचरू कटारा के कक्ष में जाकर मिला तो उसने मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नही की और रिश्वत राशि कलेक्ट्री परीसर के बाहर मस्तान ई मित्र पर जाकर देने हेतु कहा गया जिस पर मै अपने निजी वाहन से कलेक्ट्री परीसर के बाहर मस्तान ई मित्र पर जाकर ई मित्र

संचालक से मिला तो उसने भी रिश्वत राशि ग्रहण नही की और मुझे रिश्वत राशि ऑनलाईन करने हेतु कहां गया तो मैने मेरे पास ऑनलाईन राशि नही होना कहकर नगद लेने हेतु कहा जिस पर ई मित्र संचालक द्वारा कचरू को फोन किया तो कचरू ने मुझे वापस तहसील कार्यालय बुलाया। जिस पर मै अपने वाहन से तहसील कार्यालय कलेक्ट्री परीसर बांसवाडा पहुंचकर कचरू से जाकर मिला तो कचरू ने मुझसे वार्ता करते हुए कक्ष से बाहर निकलकर मुझे साथ चलने को कहां जिस पर हम दोनो कोष कार्यालय बांसवाडा की दूसरी मंजिल पर एक कक्ष में पहुंचे जहां टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से कचरू ने पीओन के बारे पूछा तो उस व्यक्ति ने कहां की पीओन नही है। उसके बाद कचरू कुछ देर कक्ष में ईधर उधर घुमकर मेरे पास आया और रिष्वती राशि 10,000/- रूपये मुझसे मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कर टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के हाथों में रिश्वत राशि 10,000/- रूपये देकर कचरू और मै कोष कार्यालय बांसवाडा के बाहर आए कचरू वहां से तहसील कार्यालय बांसवाडा की तरफ चला गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी एवं हमाराहियान के कोष कार्यालय बांसवाडा के मुख्य गेट से अन्दर प्रवेष कर दूसरी मंजिल पर दाहिनी साईड के कक्ष में पहुंचे जहां सामने टेबल कुर्सी पर सादे वस्त्रों में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मिलन भट्ट पुत्र श्री देवेन्द्र भट्ट उम्र 47 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी जौलाना तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा जिला बांसवाडा होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि श्री पंकज कुमार व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को कक्ष के बाहर निगरानी हेतु रखा गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी-अभी परिवादी श्री मनोज वैष्णव से श्री कचरू कटारा ने रिश्वत राशि 10,000/- रूपये ग्रहण करके आपको दी है के बारे में पूछा तो श्री मिलन भट्ट ने बताया की हां अभी कुछ देर पहले कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा ने मुझे इनसे (मनोज वैष्णव) से 10,000/- रूपये अपने हाथो से लेकर मुझे दिए जो मेरी टेबल की नीचे की दराज में रखे है। मेरा इस राशि से कोई लेना देना नही है ना ही मै मनोज वैष्णव को जानता हुं। कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक ने मुझे यह राशि सम्भालने हेतु दि और कुछ देर बाद वापस ले जाने को कहा था इसके अतिरिक्त में कुछ नही जानता। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार भगोरा ने श्री मिलन भट्ट के टेबल की दाहिनी तरफ की नीचे की दराज खुलवाकर तलाशी लिवाई गई तो दराज में रद्दी कागजो के बिच में 500-500 सौ रूपये के कुछ नोट रखे हुए थे उक्त नोटो को गवाह श्री अनिल कुमार भगोरा से उठवाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये होना बताया गया। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से फर्द पेषकषी से मिलान करवाया गया तो नोट मुताबिक फर्द पेषकषी हूबहू हुए। उक्त रिश्वत राशि 10,000/- रूपये को गवाह श्री अनिल कुमार भगोरा को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलवाया गया। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेष कुमार सउनि व श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को तहसील कार्यालय बांसवाडा से कचरू कटारा, वरिष्ठ सहायक को नियमानुसार डिटेन कर लाने हेतु रवाना किया। तत्पष्चात श्री दिनेष कुमार सउनि व श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि हमराह श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक को दोनो हाथों की कलाई के उपर से पकड कर अपने साथ लेकर उपस्थित हुए । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कचरू कटारा पुत्र श्री विठ्ला कटारा उम्र 28 वर्ष जाति भील निवासी इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी कचरू कटारा से परिवादी मनोज वैष्णव से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये किस बात के ग्रहण किए गए है पूछा तो कचरू कटारा ने बताया की मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है पुनः पूछने पर आरोपी कचरू कटारा ने बताया की प्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंधी के मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र पर पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे इस सम्बन्ध में मनोज वैष्णव स्वास्तिक ई मित्र को तहसील कार्यालय बुलाकर इनके खिलाफ कार्यवाही नही करने के एवज में मैने इनसे अभी 10,000/- रूपये ग्रहण कर मिलन भट्ट को दे दिए थे। जितेन्द्र सिंधी के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में पूछा तो कचरू ने बताया की आवेदन पत्र मेरे कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में रखा हुआ है। आरोपी कचरू कटारा से रिश्वत राशि मिलन भट्ट को देने के सम्बन्ध में पूछा तो कचरू ने बताया की मुझे मनोज वैष्णव पर शंका हो गई थी इसलिए मै मनोज वैष्णव को कोष कार्यालय लेकर आया और मनोज वैष्णव से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर मिलन भट्ट को दे दिए थे मैने ही मिलन भट्ट को रिश्वत राशि देकर कहा था की मै राशि बाद में ले लुंगा आपके पास रख लो मिलन भट्ट का इससे कोई लेना-देना नही है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी मनोज वैष्णव ने भी बताया की कचरू कटारा ने मुझसे प्रार्थी जितेन्द्र सिंधी के आवेदन पत्र पर पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर करने का झुठा आरोप लगाकर मेरे विरूद्व पुलिस थाने में रिपोर्ट देने का दबाव बनाकर धमका कर 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा था कचरू कटारा को उसकी मांग अनुसार 10,000/- रूपये रिश्वत राशि मैने मिलन जी के कक्ष में कचरू को उसके हाथ में दिए थे जो उसने मिलन जी को दे दिए थे मै पहले कभी मिलन जी से नही मिला नाही उन्होने मुझसे कोई रिश्वत राशि की मांग की थी। आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री मनोज वैष्णव के कथनानुसार स्पष्ट है कि आरोपी कचरू कटारा द्वारा परिवादी के विरूद्व कोई कार्यवाही नही करने की एवज में 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परन्तु आरोपी कचरू कटारा को परिवादी पर शंका होने से रिश्वत राशि ग्रहण करने से पूर्व परिवादी को ईधर उधर घुमाया गया और अन्त में रिश्वत राशि कोष

कार्यालय बांसवाडा की दूसरी मंजिल पर मिलन भट्ट के कक्ष में परिवादी से ग्रहण कर मिलन भट्ट को देकर पुनः तहसील कार्यालय बांसवाडा चला गया। चूंकी रिश्वत राशि आरोपी श्री कचरू कटारा ने अपने हाथों से ग्रहण कर मिलन भट्ट को सम्भलवाए थे जिस कारण मौके की स्थिती स्पष्ट करने हेतु आरोपी कचरू कटारा व मिलन भट्ट के हाथों का धोवन नियमानुसार लिया जाना आवष्यक होने से श्री दिनेश कुमार सउनि से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर कोष कार्यालय बांसवाडा में मिलन भट्ट के कक्ष से पीने का साफ पानी पारदर्शी प्लास्टिक बोतल मे मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH1 o RH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मिलन भट्ट के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH1 o LH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर कोष कार्यालय बांसवाडा में मिलन भट्ट के कक्ष से पीने का साफ पानी पारदर्शी प्लास्टिक बोतल मे मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ । जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH3 o RH4 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कचरू कटारा के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH3 o LH4 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात कोष कार्यालय बांसवाडा की दूसरी मंजील के दाहिने साईड के कमरे में मिलन भट्ट के टेबल की दाहिनी तरफ की नीचे की दराज में रद्दी कागजो के बिच में जहां से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये बरामद हुई का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्षी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया उक्त घोल में ट्रेप बॉक्स में रखे साफ रूई के फोहे को निकालकर रंगहीन घोल में डुबोकर टेबल की नीचे की दराज में रखी रद्दी कागजो के बीच में घुमाया जाकर रूई के फोहे को रंगहीन घोल के गिलास में डुबोया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे हाजरिन ने स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर षिषियों को श्री दिनेष कुमार सउनि से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क D1 o D2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदाषिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त दराज से रद्दी कागजो को निकाला जाकर सुखाकर धोवन वाले स्थान पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए तथा रद्दी कागजो को एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क K अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार भगोरा स्वतंत्र गवाह को पूर्व में सम्भलाई गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये जिसका मिलान पूर्व में दोनो स्वतंत्र गवाहान से मूर्तिब फर्द पेशकशी से कर लिया गया था उक्त रिश्वत राशि को श्री अनिल कुमार भगोरा गवाह से प्राप्त कर उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर नियमानुसार एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गया। समस्त सीलचीटशुदा आर्टिकल्स मय रिश्वती राशि सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में श्री दिनेश कुमार सउनि से रखवाए गए। उक्त बरामदगी की विडीयोग्राफी श्री बन्सीलाल कानि नं 63 से ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल में विडीयोग्राफी करवाई गई। मौके पर प्रयुक्त डिस्पोजल गिलास व रूई के फोहे को श्री दिनेश कुमार सउनि से कार्यालय कक्ष के बाहर जलवाकर नष्ट करवाया गया। समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो आरोपीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी में परिवादी की निशांदेही पर फर्द घटनास्थल निरीक्षण किया गया जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 02.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता एवं डिटेन शुदा आरोपीगण मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनो के अपने-अपने वाहनो से तहसील कार्यालय बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 02.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा तहसील कार्यालय बांसवाडा पहुंचा। जहां श्री हरिनारायण सोनी तहसीलदार उपस्थित मिले जिनसे प्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंधी के वर्ष 2024 का मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र का मूल आवेदन पत्र चाहा गया जिस पर तहसीलदार ने अनभिज्ञता जाहिर की तो मौके पर उपस्थित कचरू कटारा ने बताया उक्त मूल आवेदन पत्र मेरे

कक्ष की टेबल की दराज में पडे है जिस पर कचरू कटारा को उसके कार्यालय कक्ष में ले जाया गया जहां श्री कचरू कटारा ने अपने टेबल की दराज से प्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंधी के मूल आवेदन पत्र निकालकर प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 27 दिनांक 09.03.2026 के संलग्न कर प्रस्तुत कर अवगत करवाया की उक्त आवेदन पत्र ई मित्र के माध्यम से ऑनलाईन किए जाते है मूल आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में प्राप्त नही किए जाते है। मूल आवेदन पत्र ई मित्र पर ही रहते है। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपीगण एवं हमराहियान व आवश्यक संसाधनो के परिवादी को उसके निजी वाहन से आगे रवाना कर पीछे-पीछे ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हुए। समय 02.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहुंचकर दोनो आरोपीगणों को सुरक्षित कार्यालय के कक्ष में बैठाया गया तथा सीलचिटशुदा आर्टिकल को श्री दिनेश कुमार सउनि को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। समय 03.00 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 27.02.2026 को समय करीब 01.08 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कचरू कटारा के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बांसवाडा पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि0 नम्बर 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदाफर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक कि होने की पुष्टि की। आरोपी श्री कचरू कटारा ने भी उपरोक्त वार्ता में आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। तत्पश्चात उक्त वार्ता में आरोपी श्री कचरू कटारा द्वारा परिवादी से पटवारी श्री निलेश गायरी के सम्बन्ध में वार्ता की गई जिसके सम्बन्ध में दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी कचरू कटारा से पूछताछ की गई तो बताया की निलेश गायरी पटवारी सुन्दनपुर में पदस्थापित है तहसील कार्यालय में राजकार्य हेतु आते जाते रहते है। मैने उन्हे मनोज वैष्णव के सम्बन्ध में बताया तो श्री निलेश गायरी पटवारी ने मुझे विधिवत उचित कार्यवाही करने हेतु कहकर मुझसे कोई वार्ता नही की मेरे द्वारा निलेश पटवारी का नाम परिवादी मनोज वैष्णव को इसलिए कहां गया क्योकि वो मनोज वैष्णव का परिचीत है। इस मामले में श्री निलेश पटवारी का कोई लेना-देना नही है। जिस पर परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने भी कचरू कटारा कि बात की ताईद करते हुए बताया की निलेश जी पटवारी गांव बडगांव के निवासी है इसलिए वो मेरे परिचीत है। निलेश पटवारी द्वारा मुझसे कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गई ना ही मुझ पर कोई दबाव बनाया गया केवल उनके द्वारा मुझे कचरू द्वारा कार्यवाही करने की बात बताकर तहसील कार्यालय बांसवाडा जाकर जानकारी प्राप्त करने हेतु कहा गया उसके अतिरिक्त उन्होने मुझसे कोई रिश्वत राशि नही मांगी है। ना ही इनका इस मामले में कोई लेना देना है। समय 04.20 पीएम पर पाबन्दशुदा सुश्री कृपा कुमारी मकानि 309 पुलिस लाईन बांसवाडा ब्यूरो कार्यालय हाजिर आई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल में नय मेमोरी कार्ड लगवा बरामदगी की विडीयोग्राफी करवाई गई थी उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल से मूल हि निकलवाया जाकर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा जाकर सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगाया जाकर श्री बंसीलाल कानि को सरकारी मोबाईल सुपूर्द कर खानातलाशी की विडीयोग्राफी करने हेतु निर्देशित कर सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सरकारी क्वार्टर 4/4 न्यू सिविल लाईन आबकारी ऑफिस के सामने बांसवाडा की खानातलाशी हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि, सुश्री कृपा मकानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन के रवाना हुआ। आरोपीगण श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो इकाई पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि नं 390 की निगरानी में रखा गया। समय 04.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी के सरकारी क्वार्टर 4/4 न्यू सिविल लाईन आबकारी ऑफिस के सामने बांसवाडा पर पहूचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता की उपस्थिति में खानातलाशी शुरु की गई। समय 05.00 पीएम पर दर्ज रहे कि आरोपी श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सरकारी क्वार्टर 4/4 न्यू सिविल लाईन आबकारी ऑफिस के सामने बांसवाडा की खानातलाशी ली जाकर फर्द खानातलाशी मूर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से आरोपी श्री कचरू कटारा के निवास स्थान इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा जिला बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 05.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी के निवास स्थान इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा जिला बांसवाडा पर पहूचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता की उपस्थिति में खानातलाशी शुरु की गई। समय 05.50 पीएम पर दर्ज रहे कि आरोपी श्री कचरू कटारा के निवास स्थान इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा जिला बांसवाडा की खानातलाशी ली जाकर फर्द खानातलाशी मूर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो

जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 06.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा जिला बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा । सुश्री कृपा कुमारी मकानि 309 को जाये तैनाती उपस्थिती देने हेतु रवाना किया। समय 06.20 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 09.03.2026 को समय करीब 11.27 एएम पर परिवादी एवं श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक एवं मस्तान ई मित्र संचालक के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिब शुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री मनोज वैष्णव ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री कचरू कटारा व एक आवाज मस्तान ई मित्र संचालक की होने की पुष्टि की। आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक ने भी उपरोक्त वार्ताओ में आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 08.10 पीएम पर आरोपी श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के परीजन ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए और अवगत करवाया की श्री मिलन भट्ट को स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या है। आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना आवश्यक होने से आरोपीगण श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु तहरिर जारी कर श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र कानि नं 390, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। समय 08.30 पीएम पर आरोपीगण श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट करा बाद परीक्षण मय आरोपीगण के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। दोनो आरोपीगण को सुरक्षित कार्यालय में बैठाया गया। समय 08.35 पीएम पर आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके परिचीत को दी गई। समय 08.55 पीएम पर आरोपी श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जामा तलाशी के दौरान आरोपी श्री मिलन भट्ट से बरामद मोबाईल सेमसंग गैलेक्सी एस 10 प्लस जिसके पीछे पौकेमोन कार्टून स्टीकर आरोपी के परिचीत को सुपूर्द किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके परिचीत को दी गई। समय 09.15 पीएम पर आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक को भ्रनिब्यूरो के पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 09.03.2026 आवाज नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-5 दिनांक 09.03.2026 एवं श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पत्रांक एसपीएल-6 दिनांक 09.03.2026 आवाज नमूना हेतु व स्पष्टिकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-7 दिनांक 09.03.2026 दिया गया तो दोनो आरोपीगणों ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों को शामिल पत्रावली किये गये। समय 09.20 पीएम पर दिनांक 26.02.2026 समय करीब 11.45 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने वार्ता व दिनांक 27.02.2026 समय करीब 01.08 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कचरू कटारा के मध्य आमने-सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.03.2026 को समय करीब 11.27 एएम पर परिवादी व आरोपी श्री कचरू कटारा के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे नियमानुसार परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी तथा एक पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी एवं डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 09.40 पीएम पर दिनांक 26.02.2026 समय करीब 11.45 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने वार्ता व दिनांक 27.02.2026 समय करीब 01.08 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कचरू कटारा के मध्य आमने-सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.03.2026 को समय करीब 11.27 एएम पर परिवादी व आरोपी श्री कचरू कटारा के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार श्री बंसीलाल कानि नं 63 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये

जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया। समय 10.00 पीएम पर आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक व श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोेबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी बरामदगी की मेमोरी कार्ड जो की कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित था कार्यालय की अलमारी से मंगवाकर उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में लगवाकर उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी पेन ड्राईव तथा एक पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी व डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 10.20 पीएम पर दिनांक 09.03.2026 को आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक व श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल से विडीयाग्राफी की गई थी जो सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 10.40 पीएम पर आरोपीगण श्री मिलन भट्ट 4/4 न्यू सिविल लाईन आबकारी ऑफिस के सामने बांसवाडा व श्री कचरू कटारा निवास स्थान इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा जिला बांसवाडा के मकान की खानातलाशी के दौरान श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोेबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की एक पेनड्राईव तैयार की गयी। उक्त पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 11.00 पीएम पर आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक की जामातलाशी के दौरान बरामद मोबाईल जिसे स्वतंत्र गवाह श्री निलेश जोशी को सम्भलाया गया था जिसे जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 11.20 पी.एम पर पाबन्दशुदा श्री हरिनारायण सोनी तहसीलदार तहसील व जिला बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आए। तत्पश्चात दिनांक 26.02.2026 एवं 27.02.2026 को परिवादी व आरोपी कचरू कटारा के मध्य हुई आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.03.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड सेव थी उक्त मेमोरी कार्ड से डब पेन ड्राईव तैयार करवाई गई थी जो श्री दिनेश कुमार सउनि से मंगवाई जाकर पेन ड्राईव को श्री बंसीलाल कानि से ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट करवा उक्त वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश को चलाकर सुनवाया गया तो श्री हरिनारायण सोनी तहसीलदार द्वारा आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक की आवाज पहचान करते हुए कहा कि उक्त कार्मिक मेरे तहसील कार्यालय में पदस्थापित है। जिनसे मेरा राजकार्य के सम्बन्ध में वार्ता होती है इसलिए में इसकी आवाज पहचानता हु। समय 11.40 पी.एम पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिनेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। श्री जितेन्द्र कानि नं 390 को भी जाये तैनाती उपस्थिती देने हेतु रवाना किया गया। समय 11.45 पी.एम पर आरोपीगण श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा के नाम तहरिर जारी कर श्री जितेन्द्र कानि, श्री बंसीलाल कानि नं 63 को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। दिनांक 10.03.2026 समय 12.10 ए.एम पर ब्यूरो जाब्ता आरोपीगण श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक में दाखिल हवालात करा ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपीगण के पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा की रोजनामचा रपट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.40 ए.एम पर आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक व श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त करने हेतु श्री जितेन्द्र कानि नं 390, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। समय 10.15 ए.एम पर श्री जितेन्द्र कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक व श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा से प्राप्त कर ब्यूरों चौकी पर लेकर उपस्थित आये। समय 11.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक व श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय सरकारी वाहन व

चालक से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। प्रकरण में आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा एवं श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेंगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा द्वारा प्रार्थी जितेन्द्र सिंधी के मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के मूल आवेदन पत्र पर पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर बताकर परिवादी श्री मनोज वैष्णव स्वास्तिक ई मित्र संचालक के विरूद्व पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज नही करवाने के एवज में रिश्वत राशि की मांगकर ग्रहण कर श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा को दी गई जो श्री मिलन भट्ट के कार्यालय कक्ष की टेबल की निचली दराज से रिश्वत राशि बरामद की गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री कचरू कटारा द्वारा परिवादी के विरूद्व कार्यवाही नही करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई जो नियमानुसार दिनांक 26.02.2026 व 27.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग कि पुष्ठि हुई। तत्पश्चात नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनांक 09.03.2026 को आरोपी श्री कचरू कटारा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये अपनी मांग अुनसार ग्रहण कर श्री मिलन भट्ट सप्रअ को दिए गए जो की श्री मिलन भट्ट के कार्यालय कक्ष की टेबल की निचली दराज से बरामद कर दोनो आरोपीगणों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौके से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है तथा आरोपीगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा एवं श्री मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 09.03.2026 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा एवं श्री मिलन भट्ट पुत्र श्री देवेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा जिला बांसवाडा के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेश मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री कचरू कटारा पुत्र श्री विठ्ला कटारा, उम्र 28 वर्ष, जाति भील, निवासी इन्दिरा कॉलोनी तलवाडा, जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय बांसवाडा एवं 2.श्री मिलन भट्ट पुत्र श्री देवेन्द्र भट्ट, उम्र 47 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी जौलाना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 604 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 469-72 दिनांक 12.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- जिला कलक्टर, बासंवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बासंवाडा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2026 17:52:43

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				
2	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)